

::आदेश::

वर्ष 2022-23 के द्वितीय त्रैमास से सम्बन्धित आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

उपायुक्त (क0नि0), सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (क0नि0/स0द0) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देश:-

- 1 सम्परीक्षा, कर निर्धारण कार्यालयों की वर्ष 2020-21 एवं सचल दल कार्यालयों की वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित पत्रावलियों की, की जायेगी।
- 2 डिप्टी कमिश्नर/असि0 कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), निर्धारित सम्परीक्षा अवधि में निस्तारित समस्त कर निर्धारण वादों एवं एक लाख से ज्यादा के रिफण्ड मामलों की शत-प्रतिशत सूची निम्न प्रारूप-1 पर सम्बन्धित पत्रावलियों के साथ सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे ताकि समय के अन्दर सम्परीक्षा कार्य पूर्ण हो सके।

प्रारूप-1 (कर निर्धारण)

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	वर्ष	प्रा0/के0	आदेश की तिथि	सकल क्रय/विक्रय धन	आरोपित कर
---------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------------	-----------

3. सचल दल इकाईयों के प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय के ऑनलाइन/ऑफलाइन अभिलेख जैसे पंजी-5, MOV विवरण, रोड चेकिंग रजिस्टर, ट्रांसपोर्टों से सम्बन्धित पत्रावलियों, गोदाम रजिस्टर बैंक गारण्टी रजिस्टर, माल निस्तारण रजिस्टर, डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्टर, कार्यालय आदेश रजिस्टर, कोषागार प्रपत्र-385 की रसीद बुक, भौतिक सत्यापन रजिस्टर, कोषबही, जमा धनराशि की रिफण्ड रजिस्टर आदि वांछित अभिलेख एवं निम्न प्रारूप-2 की सूचना सम्परीक्षा दल को पहुंचते ही उपलब्ध करायेगे।

प्रारूप-2 (सचल दल)

क्र0सं0	पंजी-5 क्रमांक	GSTIN No.	CIN No./date	Amount
---------	----------------	-----------	--------------	--------

सम्परीक्षा दल वसूल की गयी धनराशियों का जीएसटी/कोषागार वेबसाइट से जमा का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

4. सम्परीक्षा में ऑनलाइन उपलब्ध कतिपयसूचना वांछित होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तदनुसार मिलान/उपलब्ध कराया जायेगा।
5. सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर से सम्पर्क करेंगे एवं एडीशनल कमिश्नर ((लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।
6. महालेखाकार द्वारा जिन कर निर्धारण कार्यालयों की अवधि 2020-21 की सम्परीक्षा सम्पादित की जा चुकी है उन कार्यालयों की सम्परीक्षा मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-202 दिनांक 26.05.2010 के प्रस्तर-5 के क्रम में महालेखाकार सम्परीक्षा अवधि के बाद की अवधि की सम्पादित की जाएगी। सचल दल इकाईयों की सम्परीक्षा में वसूल की गयी धनराशियों का जमा सत्यापन किया जाना है, अतः सचल दल इकाईयों की सम्परीक्षा में उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-202/26.05.10 लागू नहीं होगा।
7. सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि में अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।
8. सम्परीक्षा दलों द्वारा सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या- आ0सं0-परिपत्र-16 ((4) 2005-06/1497/वा0क0 दिनांक 16.02.2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें।

६

9. सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16 ((4) परिपत्र सामान्य- 2002-03/85 दि० 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
10. सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब एडीशनल कमिश्नर लेखा मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।
11. सम्परीक्षा दल के सदस्यों द्वारा सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें जीएसटी/वैट अधिनियम तथा परिपत्र एवं न्यायिक निर्णयों जिनका उल्लंघन हो रहा है, का उल्लेख अवश्य किया जाय।
12. सम्परीक्षा दल प्रभारी, सम्परीक्षा कार्यक्रम के मध्य निर्धारित कार्यालय कार्य दिवसों में, सम्प्रेक्षित कार्यालयों के प्रतिवेदन आलेख तैयार कर अनिवार्यतः मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।
13. आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के क्रमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

-:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:-

पार्टी सं०	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	निर्धारित सम्परीक्षा तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, व०ले०प०	वाराणसी वाराणसी	स०द० इकाई -3 गोरखपुर	18.07.22 से 20.07.22 तक
			स०द० इकाई सिद्धार्थनगर	21.07.22 से 23.07.22 तक
			स०द० इकाई -कन्नौज	25.07.22 से 27.07.22 तक
			स०द० इकाई - फतेहगढ़	28.07.22 से 30.07.22 तक
			खण्ड-6 नोएडा	01.08.22 से 06.08.22 तक
			खण्ड-10 गाजियाबाद	22.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड-2 मेरठ	29.08.22 से 03.09.22 तक
			खण्ड-1 झांसी	12.09.22 से 17.09.22 तक
			खण्ड- 19 लखनऊ	19.09.22 से 24.09.22 तक
			2	श्री अमिताभ सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री राम लाल, व०ले०प०
स०द० इकाई -बलिया	21.07.22 से 23.07.22 तक			
स०द० इकाई देवरिया	25.07.22 से 27.07.22 तक			
स०द० इकाई कुशीनगर	28.07.22 से 30.07.22 तक			
खण्ड-13 गाजियाबाद	01.08.22 से 06.08.22 तक			
स०द० इकाई लखीमपुर	29.08.22 से 31.08.22 तक			
स०द० इकाई-मुगलसराय	01.09.22 से 03.09.22 तक			
खण्ड-5 झांसी	05.09.22 से 09.09.22 तक			
खण्ड-1 अलीगढ़	12.09.22 से 17.09.22 तक			
खण्ड-5 बरेली	26.09.22 से 01.10.22 तक			
3	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	आगरा मुख्यालय	स०द० इकाई-1 वाराणसी	18.07.22 से 20.07.22 तक
			स०द० इकाई-2 वाराणसी	21.07.22 से 23.07.22 तक
			खण्ड- 1 मथुरा	01.08.22 से 06.08.22 तक
			स०द० इकाई-बागपत	22.08.22 से 24.08.22 तक
			स०द० इकाई -3 झांसी	25.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड-1 गाजियाबाद	29.08.22 से 03.09.22 तक

			खण्ड— सिकन्दराबाद	05.09.22 से 09.09.22 तक
			खण्ड—18 कानपुर	19.09.22 से 24.09.22 तक
			खण्ड—मोदीनगर	26.09.22 से 01.10.22 तक
4	श्री रज्जन लाल, व0ले0प0 (प्रभारी) श्री विश्व प्रकाश सिंह, व0ले0प0	कानपुर वाराणसी	स0द0 इकाई—3 प्रयागराज	25.07.22 से 27.07.22 तक
			स0द0 इकाई—4 प्रयागराज	28.07.22 से 30.07.22 तक
			स0द0 इकाई —1 शामली	01.08.22 से 03.08.22 तक
			स0द0 इकाई —2 शामली	04.08.22 से 06.08.22 तक
			स0द0 इकाई—फिरोजाबाद	16.08.22 से 17.08.22 तक
			खण्ड—3 फिरोजाबाद	22.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड—3 इटावा	29.08.22 से 03.09.22 तक
			खण्ड—2 मैनपुरी	12.09.22 से 17.09.22 तक
			खण्ड—1 लखनऊ	19.09.22 से 24.09.22 तक
5	श्री अब्दुल राशिद, व0ले0प0 (प्रभारी) श्री विजय शंकर मौर्य, व0ले0प0	गोरखपुर गोरखपुर	स0द0 इकाई —3 सोनभद्र	25.07.22 से 27.07.22 तक
			स0द0 इकाई —जौनपुर	28.07.22 से 30.07.22 तक
			खण्ड—2 जौनपुर	22.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड—20 वाराणसी	29.08.22 से 03.09.22 तक
			खण्ड—2 चन्दौली	12.09.22 से 17.09.22 तक
			खण्ड—2 अयोध्या	19.09.22 से 24.09.22 तक
6	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह व0ले0प0(प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता व0ले0प0	झांसी मुख्यालय	स0द0 इकाई —सीतापुर	18.07.22 से 20.07.22 तक
			स0द0 इकाई—अयोध्या	21.07.22 से 23.07.22 तक
			खण्ड—5 अयोध्या	25.07.22 से 30.07.22 तक
			स0द0 इकाई — 5 झांसी	16.08.22 से 18.08.22 तक
			स0द0 इकाई —4 झांसी	19.08.22 से 20.08.22 तक
			खण्ड—1 नोएडा	22.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड—1 रामपुर	05.09.22 से 09.09.22 तक
			खण्ड—3 अलीगढ़	12.09.22 से 17.09.22 तक
			खण्ड—2 आगरा	19.09.22 से 24.09.22 तक
			खण्ड— 16 गाजियाबाद	26.09.22 से 01.10.22 तक
7	श्री निहाल सिंह, व0ले0प0 (प्रभारी) श्री राज कुमार मद्देशिया, व0ले0प0	अयोध्या गोरखपुर	स0द0 इकाई—आजमगढ़	18.07.22 से 20.07.22 तक
			स0द0 इकाई—मऊ	21.07.22 से 23.07.22 तक
			स0द0 इकाई—3 वाराणसी	25.07.22 से 27.07.22 तक
			स0द0 इकाई—4 वाराणसी	28.07.22 से 30.07.22 तक
			स0द0 इकाई — कर्वी	17.08.22 से 19.08.22 तक
			खण्ड—6 मेरठ	22.08.22 से 27.08.22 तक
			खण्ड—2 चन्दौसी	29.08.22 से 03.09.22 तक
			खण्ड—2 गाजियाबाद	12.09.22 से 17.09.22 तक
			खण्ड—3 हापुड	19.09.22 से 24.09.22 तक
			खण्ड—2 लखनऊ	26.09.22 से 01.10.22 तक
8	श्री अब्दुल हादी खान, व0ले0प0 (प्रभारी) श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व0ले0प0	अयोध्या मुख्यालय	खण्ड—3 नोएडा	25.07.22 से 30.07.22 तक
			खण्ड—12 गाजियाबाद	01.08.22 से 06.08.22 तक
			स0द0 इकाई —सुल्तानपुर	10.08.22 से 11.08.22 तक
			स0द0 इकाई—1 झांसी	16.08.22 से 18.08.22 तक

			स0द0 इकाई-2 झांसी	19.08.22 से 20.08.22 त
			खण्ड-2 हसनपुर	22.08.22 से 27.08.22 त
			खण्ड-12 नोएडा	29.08.22 से 03.09.22 त
			खण्ड-4 गाजियाबाद	12.09.22 से 17.09.22 त
			खण्ड-11 अलीगढ़	19.09.22 से 24.09.22 त
9	श्री विष्णु शंकर मिश्रा, व0ले0प0(प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, व0ले0प0	अयोध्या मुसादाबाद	स0द0 इकाई - उन्नाव	18.07.22 से 20.07.22 त
			स0द0 इकाई - भोगनीपुर	21.07.22 से 23.07.22 त
			स0द0 इकाई -1 चन्दौली	25.07.22 से 27.07.22 त
			स0द0 इकाई -2 चन्दौली	28.07.22 से 30.07.22 त
			स0द0 इकाई-मैनपुरी	17.08.22 से 19.08.22 त
			खण्ड-3 गाजियाबाद	22.08.22 से 27.08.22 त
			खण्ड-4 हापुड़	29.08.22 से 03.09.22 त
			खण्ड-8 झांसी	12.09.22 से 17.09.22 त
			खण्ड-1 कानपुर	19.09.22 से 24.09.22 त
			खण्ड-4 बस्ती	26.09.22 से 01.10.22 त
10	श्रीमती प्रणीता दीक्षित, व0ले0प0(प्रभारी) श्रीमती मनीषा देवी, व0ले0प0 श्रीमती दीप्ति कश्यप, व0ले0प0	कानपुर वाराणसी नोएडा	स0द0 इकाई-बाराबंकी	18.07.22 से 20.07.22 त
			स0द0 इकाई-हरदोई	21.07.22 से 23.07.22 त
			खण्ड-5 लखनऊ	25.07.22 से 30.07.22 त
			स0द0 इकाई-इटवा	01.08.22 से 03.08.22 त
			स0द0 इकाई-औरैया	04.08.22 से 06.08.22 त
			खण्ड-3 रायबरेली	22.08.22 से 27.08.22 त
			खण्ड-3 अयोध्या	29.08.22 से 03.09.22 त
			खण्ड-7 बरेली	12.09.22 से 17.09.22 त
			खण्ड-3 सीतापुर	19.09.22 से 24.09.22 त

ह०


(मिनिस्ती एस०)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ०प्र०, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०श०), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त आयुक्त, (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. सम्बंधित संयुक्त आयुक्त, (कार्यपालक/वि०अनु०श०), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त (क०नि०), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बंधित सहायक आयुक्त (प्रभारी) सचल दल, राज्य कर, उ०प्र०।
9. सम्बंधित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को अनुपालनार्थ।



(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।